

पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां को
हाईकोर्ट से राहत, जमानत के खिलाफ
दिल्ली पुलिस की अपील खारिज

दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां को जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील खारिज कर दी। यह मामला 2020 के दिल्ली दलों की कथित बड़ी साजिश से संबंधित है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंद्र दुहेजा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि जमानत मिलने के बाद चार साल से अधिक समय बीत चुका है। इस दौरान जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने का कोई आरोप नहीं है। अख्तियार ने कहा कि वह पहले के जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है। इशरत जहां को मार्च 2022 में दिल्ली दलों की बड़ी साजिश के मामले में जमानत मिली थी।

बहुजन हिताय!

बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत



राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat.net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 174 ● नई दिल्ली ● शनिवार 25 अप्रैल 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन

मजदूर संगठन
के सदस्य बनें

E-mail :

rmsdp@hotmail.com

अनापारिक गौता भारती भवन

बॉ-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

राहुल के धरुवीकरण वाले आरोप पर बीजेपी का पलटवार, किरेन रिजिजू बोले- कांग्रेस का स्टैंड ही साफ नहीं है



नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 24 अप्रैल को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की, जब राहुल गांधी ने तुणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल का धरुवीकरण करने और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को राय में लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने का आरोप लगाया था। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान में विरोधाभासों की ओर इशारा करते हुए कहा कि जहां राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, वहीं वे तुणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की इस बात के लिए आलोचना भी कर रहे हैं कि उसने भाजपा को अपनी पकड़ मजबूत करने दी।

रिजिजू ने कहा कि यह हैरान करने वाला है। एक तरफ राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ कांग्रेस ही भाजपा को हरा सकती है, वहीं दूसरी तरफ वे कह रहे हैं कि टीएमसी की धरुवीकरण की राजनीति के कारण भाजपा पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतेगी। पिछले दिन, राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए कहा था कि अगर ममता जी ने स्वच्छ सरकार चलाई होती और पश्चिम बंगाल में धरुवीकरण न किया होता, तो भाजपा के लिए बंगाल में पैठ बनाना नामुमकिन होता। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा के खिलाफ लड़ेगी और उसे हरा सकती है। इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल

विधानसभा चुनावों में भाजपा की महत्वपूर्ण जीत की भविष्यवाणी की थी, जिसमें उन्होंने एक आंतरिक आकलन का हवाला दिया था जिसमें संकेत दिया गया था कि पार्टी पहले चरण में लड़ी गई 152 सीटों में से 110 सीटें हासिल कर सकती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि 90 प्रतिशत से अधिक की रिकॉर्ड मतदान दर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के लिए जनता के समर्थन को दर्शाती है, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के प्रभाव के अंत का संकेत है। उन्होंने कहा कि भाजपा की बंगाल टीम ने अपना आकलन कर लिया है। इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 152 सीटों में से भाजपा 110 से अधिक सीटें जीत सकती है। दूसरे चरण के मतदान को भी ध्यान में रखते हुए, भाजपा बंगाल में सरकार बनाने के लिए तैयार है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को शाम 6 बजे समाप्त हुआ, जिसमें 91.83 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। उच्च मतदान ने कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई एक सशक्त चुनाव प्रक्रिया को रेखांकित किया।

जनरल नरवणे के खुलासे से झूठ का पर्दाफाश? बीजेपी ने राहुल गांधी से पूछे तीखे सवाल



नई दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा, जब पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने चीन के हथौड़े क्षेत्रीय नुकसान की बात को सिरे से खारिज कर दिया। फरवरी में संसद के बजट सत्र के दौरान, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जनरल नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी से कुछ अंश उद्धृत करने का प्रयास किया। हालांकि, अध्यक्ष ने उन्हें रोक दिया क्योंकि उस

समय पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई थी। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि नरवणे ने कहा है कि चीन को एक इंच भी जमीन नहीं दी गई। राहुल गांधी ने भ्रम फैलाया, लेकिन अब नरवणे ने अपनी चुप्पी तोड़कर राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। जनरल नरवणे का हवाला देते हुए भाजपा नेता ने इस बात पर जोर दिया कि 2020 में चीन के साथ हुए गतिरोध के दौरान सेना को राजनीतिक समर्थन प्राप्त था। जनरल नरवणे ने विवाद पर खुलकर बोलते हुए कहा कि अप्रकाशित दस्तावेजों

का इस्तेमाल करके मुझे और सशस्त्र बलों को राजनीति में घसीटना पूरी तरह से अनुचित है। वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की जमीनी हकीकत और वीजिंग के साथ जारी सीमा तनाव के बारे में पूछे जाने पर जनरल नरवणे ने कहा कि सभी शंकाओं को एक ही बार में दूर करने के लिए, बस चीनियों से पूछिए कि क्या उन्होंने हल ही में भारत में कोई बढ़त हासिल की है। फरवरी में, जनरल नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी देश में राजनीतिक हलचल का केंद्र बन गई, जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में इस पुस्तक के कुछ अंश उद्धृत करने का प्रयास किया। अप्रकाशित आत्मकथा से उद्धरण देने की अनुमति न मिलने के बाद, गांधी को सत्र के शेष समय के दौरान इसकी एक प्रति लाते हुए देखा गया। पुस्तक के अंशों का हवाला देते हुए, कांग्रेस सांसद ने दावा किया था कि पूर्व सेना प्रमुख ने राजनाथ सिंह और अन्य लोगों को चीनी टैंकों के आने के बारे में सूचित किया था, और आरोप लगाया था कि सरकार की ओर से लंबे समय तक कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं मिली।

कोई अदालत नाबालिग को गर्भावस्था बनाए रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला देते हुए कहा कि किसी भी महिला, विशेषकर नाबालिग, को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भावस्था के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 15 वर्षीय एक नाबालिग लड़की को सात महीने से अधिक की गर्भावस्था को मेडिकल तरीके से खत्म करने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि इस मामले में गर्भ अनचाहा है। साथ ही, उसने पहले दो बार आत्महत्या का प्रयास किया है, ऐसे में गर्भावस्था जारी रखना उसके हित में नहीं है। जस्टिस बीवी नारयण और जस्टिस उजल भुर्या की पीठ ने कहा कि गर्भवती

महिला की परसंद सर्वोपरि है, न कि जन्म लेने वाले बच्चे की। अदालत ने कहा कि जबर्न गर्भावस्था को जारी रखने से नाबालिग के मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक स्थिति और समग्र विकास पर गहरा असर पड़ सकता है। पीठ ने कहा कि महिला की प्रजनन संबंधी स्वायत्तता को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। यदि किसी महिला को अनचाहे गर्भ को जारी रखने के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। अदालत ने कहा, अपने शरीर से जुड़े फैसले लेने का अधिकार, खासकर प्रजनन से संबंधित मामले, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत

स्वतंत्रता और निजता का अभिन्न हिस्सा है। इस अधिकार को गलत प्रतिबंध लगाकर कमजोर नहीं किया जा सकता, खासकर नाबालिगों और अनचाहे गर्भ के मामलों में। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि कोई भी अदालत किसी भी महिला को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भवस्था के लिए मजबूर नहीं कर सकती और खासकर नाबालिग को तो बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी महिला, खासकर नाबालिग, को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भवस्था के लिए बाध्य करना न सिर्फ उसकी आजादी की अनदेखी होगी, बल्कि इससे उसे गंभीर मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक आघात भी

पहुंच सकता है। पीठ ने यह भी साफ किया कि यह तर्क देना आसान है कि यदि महिला बच्चे को पालना नहीं चाहती तो उसे गोद दे सकती है, लेकिन अनचाहे गर्भ के मामलों में यह तर्क ठीक नहीं है। अदालत ने कहा कि सांविधानिक अदालतों को ऐसे मामलों में गर्भवती महिला के हितों और परिस्थितियों को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि जन्म लेने वाले बच्चे को। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अगर अनचाहे गर्भ को जारी रखने पर जोर दिया जाएगा, तो लोग अवैध गर्भपात केंद्रों का सहारा लेने को मजबूर होंगे, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को खतरा बढ़ेगा।

जीएसटी विभाग में 162 अधिकारियों का फेरबदल, अनियमितताओं पर सीएम रेखा गुप्ता ने लिया एक्शन



नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्रेड एंड टैक्स (जीएसटी) विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति अपनी सख्त नीति को सख्ती से लागू किया है। यह कदम विभाग के भीतर सामने आई गंभीर अनियमितताओं पर संज्ञान लेते हुए उठाया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर व्यापक स्तर पर तबादले किए गए हैं। कुल 162 अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानांतरित किया गया है। इनमें तीन सहायक आयुक्त भी शामिल हैं। ये सभी अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात थे, जिससे कार्यप्रणाली में जड़ता आ गई थी। 8 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री के विभाग दौरे के दौरान ये अनियमितताएं सामने आई थीं। मुख्यमंत्री ने इन गंभीर अनियमितताओं पर तुरंत संज्ञान लिया और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सरकार प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहती है। किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा, यह मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया।

अधिकारियों का विस्तृत विवरण
तबादला किए गए कुल 162 अधिकारियों में विभिन्न ग्रेड के कर्मचारी शामिल हैं। इनमें 58 अनुभाग अधिकारी ग्रेड-1 के अधिकारी हैं। 22 सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड-2 के कर्मचारी भी स्थानांतरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 74 वरिष्ठ सहायक ग्रेड-3 के अधिकारी शामिल हैं, जो विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े थे। 5 कनिष्ठ सहायक ग्रेड-4 के कर्मचारियों का भी तबादला हुआ है, जिससे निचले स्तर पर भी बदलाव आया है।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर मुख्यमंत्री का जोर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना है, ताकि जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें। उन्होंने किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के प्रति अपनी असहिष्णुता दोहराई है और सख्त संदेश दिया है। यह फेरबदल सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य के लिए मिसाल कायम करेगा। मुख्यमंत्री ने भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने का संकेत दिया है, यदि कहीं भी अनियमितताएं पाई जाती हैं।

छत्रों की कथित हिरासत का मामला, हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, दिए सीबीआई जांच के संकेत

नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर छत्रों और एक्टिविस्ट्स की कथित अवैध हिरासत और यातना के मामले में सही कार्रवाई नहीं हुई तो जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र दुहेजा की बेंच ने दिल्ली पुलिस की तरफ से सीलबंद लिफाफे में दी गई रिपोर्ट देखी लेकिन उससे संतुष्ट नहीं दिखी। कोर्ट ने कहा कि पुलिस का अब तक का रवैया भरोसेमंद नहीं है और आरोप बेहद गंभीर हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बेंच ने सख्त लहजे में कहा हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो हम सीबीआई जांच के आदेश दे देंगे, ऐसा लग रहा है कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम जांच आपसे लेकर सीबीआई को दे दें। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी साफ किया कि चाहे

आरोप कितने भी गंभीर क्यों न हों पुलिस कानून की तय प्रक्रिया को नहीं तोड़ सकती। कोर्ट ने कहा क्या किसी पर आरोप लगते ही आप उसे उग्र लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, कानून में जो प्रक्रिया तय है उसका पालन करना ही होगा। यह मामला मार्च 2026 में कुछ छत्रों और एक्टिविस्ट्स को कथित तौर पर हिरासत में लेने से जुड़ा है। इस पर कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिकाएं दाखिल की गई हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन छत्रों से एक महिला के गायब होने के मामले में पूछताछ की गई थी और उसी दिन उन्हें छोड़ दिया गया था। पुलिस ने यह भी दावा किया कि सभी आरोप जैसे अपहरण, जबर्न हिरासत, मारपीट और उत्पीड़न झूठे और बेवुनियाद हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी सवाल उठाए। पहले कोर्ट ने जिन जगहों के

सीसीटीवी सुरक्षित रखने को कहा था उनमें से दो जगहों के कैमरे काम नहीं कर रहे थे। इस पर भी बेंच ने नाराजगी जताई। छत्रों की ओर से पेश सीनियर वकील रेबेका जॉन ने कहा कि स्पेशल सेल के सीसीटीवी फुटेज बेहद अहम हैं क्योंकि इससे यह साफ हो सकता है कि छत्रों को कितनी देर तक वहां रखा गया। वहीं, दिल्ली पुलिस की ओर से वकील संजीव भंडारी ने सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि किसी तरह की प्रताड़ना नहीं हुई। उन्होंने यह भी बताया कि एफआईआर साझा न करने के पीछे सक्षम प्राधिकारी के निर्देश हैं। आखिर में कोर्ट ने कहा कि वह पुलिस की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है और पूरे केस की फाइनल कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को हाई कोर्ट करेगा।

कलेक्ट्रेट सभागार में 'दिशा' समिति की बैठक सम्पन्न, विकास कार्यों की समीक्षा व त्वरित समाधान के निर्देश

कुशीनगर।

कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सांसद विजय कुमार दुबे की अध्यक्षता तथा सह-अध्यक्ष शशांक मणि त्रिपाठी की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। बैठक में जल, बिजली, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे प्रमुख मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। अध्यक्ष ने कहा कि यह मंच केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता की

समस्याओं का त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जाता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू किया जाए। गर्मी को देखते हुए विद्युत व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि, जर्जर तारों व पोलों के प्रतिस्थापन तथा मरम्मत कार्य समय से पूरा करने के साथ ही 24 घंटे ड्यूटी सुनिश्चित करने और कर्मियों के संपर्क नंबरों के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए अशुद्ध कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर आमजन को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर



जोर दिया गया। साथ ही हाल ही में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के सफल आयोजन पर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर को बधाई देते हुए कहा गया कि इससे कुशीनगर को

वैश्विक पहचान मिली है और पर्यटन की संभावनाएं बढ़ी हैं। सह-अध्यक्ष ने अगले 12 महीनों के लिए ठोस विकास रणनीति बनाने पर बल देते हुए कहा कि 15 दिनों के भीतर

प्राथमिकताएं तय कर कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने जल, बिजली और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने तथा अधिकारियों को व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने की सलाह दी। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में तकनीक के माध्यम से विकास कार्यों की गति दी जा रही है। दुर्गा फाउंडेशन के साथ एमओयू के तहत कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के छात्रों को कंप्यूटर, एआई व डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 'जनता दर्शन-ए' के माध्यम से शिकायतों का निस्तारण 5 से 7 दिनों में सुनिश्चित किया जाएगा तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में डिजिटल वालंटियर तैयार किए जाएंगे। पुराने

डीआईओएस कार्यालय में एआई हब भी स्थापित किया जा रहा है। बैठक में रसोई गैस, पेट्रोल-डिजल आपूर्ति, स्वास्थ्य केंद्रों पर एक्स-रे मशीन, दवाओं की उपलब्धता और 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती जैसे मुद्दे उठाए गए। साथ ही रेलवे अंडरपास व ओवरब्रिज से संबंधित समस्याओं पर भी चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। इस अवसर पर विधायक मनीष जायसवाल, सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, मोहन वर्मा, डॉ. असीम कुमार, विवेकानन्द पाण्डेय, विनय प्रकाश गौड़, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल सहित समस्त ब्लॉक प्रमुख एवं जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति की पहली बैठक सम्पन्न, विनय प्रकाश गोड़ बने अध्यक्ष

कुशीनगर। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति की प्रथम बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जनपद के जनप्रतिनिधियों की गरिमापयी उपस्थिति रही, जिनमें विधायक पड़रौना मनीष जायसवाल, विधायक फाजिलनगर सुरेंद्र कुशवाहा, विधायक हटा मोहन वर्मा, विधायक तमकुही डॉ. असीम कुमार तथा विधायक खड्ड विवेकानन्द पाण्डेय शामिल रहे। बैठक में सर्वसम्मति से विधायक रामकोला विनय प्रकाश गोड़ को समिति का अध्यक्ष नामित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, नामित प्रतिनिधि मोहम्मद जफर, डिप्टी कलेक्टर/जिला विकास अधिकारी, जनपद स्तरीय अधिकारी, विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि, विशुनपुरा, नेनुआ नौरंगिया, मोतीचक व हटा के ब्लॉक प्रमुख तथा सभी खण्ड विकास अधिकारी



उपस्थित रहे। बैठक में समिति के विस्तार को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तय किया गया कि पांच ग्राम पंचायतों के निर्वाचित ग्राम प्रधानों (जिनमें कम से कम दो महिलाएं हों) को समिति में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा एक प्रतिष्ठित गैर-सरकारी

संगठन से एक सदस्य तथा अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और महिला वर्ग से एक-एक प्रतिनिधि को भी नामित किया जाएगा। समिति के प्रमुख कार्यों में विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना, लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा निधियों के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की संस्तुति करना शामिल होगा। आवश्यकता पड़ने पर समिति मामलों को जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी या परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अधिकारी को जांच हेतु प्रेषित कर सकेगी। जिला प्रशासन ने विश्वास व्यक्त किया कि यह समिति जनपद में विकास कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कसया पुलिस ने शराब तस्करी गैंग का किया पर्दाफाश, 65 लाख की अवैध शराब व वाहन बरामद



कुशीनगर। जनपद में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कसया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी के संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 204 पेट्री अवैध अंग्रेजी शराब को खाद्य सामग्रियों के बीच छिपाकर ले जाई जा रही खेप के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बरामद माल और वाहनों की कुल कीमत लगभग 65 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी कसया कुन्दन कुमार सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। सदिध वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक मिनी ट्रक, एक पिकअप, एक डीसीएम और एक मोटरसाइकिल को पकड़कर तलाशी ली, जिसमें खाद्य सामग्री के साथ छिपाकर रखी गई अवैध शराब बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों में अनीश अहमद निवासी रहसु जनोबी पट्टी थाना चौराखास तथा शिशुपाल कुशवाहा निवासी परसीनी फाजिलनगर थाना पट्टेहरवा शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका एक संगठित गिरोह है, जो शराब को वाहनों में छिपाकर बिहार ले जाता है और वहां ऊंचे दामों पर बेचता है। गिरोह का एक सदस्य मोटरसाइकिल से आगे चलकर पुलिस की गतिविधियों की रेकी करता था। पुलिस ने मु0अ0स0 0236/2026 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बरामदगी में 204 पेट्री ऑफिसर्स च्वाइस व्हिस्की (कुल 9792 पाउन्ड, 1762.56 लीटर) सहित चार वाहन शामिल हैं। कार्रवाई करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक आशुतोष सिंह, उपनिरीक्षक रूद्रप्रताप सिंह, उपनिरीक्षक जयप्रकाश समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।

पंचायती राज दिवस पर सिसवा गोड़ती में विकास पर मंथन, जनभागीदारी पर जोर

कुशीनगर।

विशुनपुरा विकास खंड अंतर्गत सिसवा गोड़ती स्थित सीएससी केंद्र पर शुक्रवार को पंचायती राज दिवस के अवसर पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम विकास, स्वच्छता, शिक्षा तथा सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन



जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से

चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्राम प्रधान लखन गुप्ता ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था गांव के सर्वांगीण विकास की मजबूत नींव है। इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने ग्रामीणों से पंचायत कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील

करते हुए गांव को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाने का संकल्प दिलाया। बैठक में पंचायत सहायक सकेत मल, दिनेश यादव, हीरा प्रसाद, महेंद्र प्रसाद, छोट्टे गुप्ता, कन्हैया प्रसाद, संजय (रोजगार सेवक), उमेश शुक्ला, सुजीत जायसवाल सहित कई गणमान्य लोग व ग्रामीण उपस्थित रहे।

सफलता पर छात्रों का भव्य स्वागत, विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित

जेईई में स में शानदार प्रदर्शन पर स्मृति-चिह्न देकर किया गया सम्मान



भटनी देवरिया।

नगर क्षेत्र के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के.के. पब्लिक एकेडमी सीनियर सेकेंडरी, भटनी के मेधावी छात्रों आदर्श दीक्षित एवं आयुष विश्वकर्मा ने 'जेईई' में स परीक्षा में उत्कृष्ट

सफलता हासिल कर विद्यालय एवं क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आदर्श दीक्षित ने 96 पर्सेंटाइल तथा आयुष विश्वकर्मा ने 95 पर्सेंटाइल अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा और मेहनत का शानदार परिचय दिया। छात्रों की इस उपलब्धि से विद्यालय में खुशी का

माहौल व्याप्त है। सफलता हासिल करने पर विद्यालय परिसर में दोनों छात्रों का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान माल्यापण, मिठाई खिलाकर एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों ने छात्रों की सराहना करते हुए उनके उज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय के प्रबंधक बी.के. श्रीवास्तव एवं कार्यकारी निदेशक अजय वर्मा ने कहा कि यह सफलता छात्रों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन एवं अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने कहा कि विद्यालय हमेशा से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराता रहा है। इस अवसर पर अभिभावकों ने भी गर्व व्यक्त करते हुए विद्यालय परिवार का आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान जे.पी. मिश्रा एवं सभासद दीपक वर्मा का भी सम्मान किया गया।

दिन में मशीन खराब होने की बहाना, रात में लाइट बंद कर दी जा रही तेल

निचलौल।

क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल लेने के लिए लोगों की कतार कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि सभी पंपों पर डीजल और पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में है। इसी बीच क्षेत्र के चिउटह मार्ग स्थित एक पेट्रोल पंप संचालक की मनमानी चरम पर पहुंच चुकी है। क्योंकि पंप संचालक जहां दिन में मशीन खराब होने की बात कहकर लोगों को पंप से बगैर डीजल पेट्रोल दिए ही वापस लौटा दे रहा है। वहीं संचालक रात में पंप को लाइट बंद कर मोटी रकम लेकर डीजल पेट्रोल का वितरण कर रहा है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पंप संचालक के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा है। लोगों ने अधिकारियों से जांच कर पंप संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वायरल वीडियो को अमर उजाला पुख्ता नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में



दिन में तेल लेने के लिए पम्प पर उमड़ी लोगों की भीड़

पेट्रोल पंप संचालक की बढ़ती मनमानी को लेकर क्षेत्र के लोगों में बढ़ रहा आक्रोश

वाले लोगों को पंप संचालक की ओर से रात के अंधेरे में मोटी रकम वसूल कर तेल दिया जा रहा है। जबकि दिन में तेल के लिए पम्प पर पहुंचते ही कभी मशीन खराब तो कभी टेक्निकल दिक्कत होकर तेल न देने की बहाना कर वापस लौटा दिया जा रहा है। ऐसे में अगर पंप संचालक के खिलाफ जल्द जांच कर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो वह लोग सड़क पर उतर आंदोलन करेंगे। इस मामले में पूर्ति निरीक्षक इंद्रभान सिंह ने बताया कि उक्त पम्प संचालक की काफी शिकायत मिल रही है। पिछले दिनों भी शिकायत मिलने पर पंप पर पहुंच तेज को वितरण कराया गया था। मामले की जल्द जांच कर विभागीय कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र भेजी जाएगी।

